आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 129/2011** **ब्रज किशोर प्रसाद राय बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं0 75/2014 ब्रज किशोर प्रसाद राय बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.5.2014 को पारित आदेश से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1012/आपूर्ति दिनांक 19.11.2011 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित पंचायत वार जॉच दल द्वारा दिनांक 25.10.2011 ब्रज किशोर राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, ग्राम पंचायत–फतेहपुर प्रखंड–दरियापुर के दुकान की जॉच की गयी थी। जॉच के कम में दुकान बंद पाई गयी थी। इस संबंध में विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विकेता के द्वारा प्राप्त कराए गए स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकार, सोनपुर ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया था कि विकेता का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 तथा संशोधित 2011 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति शर्त्तों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में दिनांक 2.5.2003 को पारित न्यायादेश की कंडिका 1(ए) की स्पष्ट अवहेलना एवं उक्त प्रावधान के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने का निदेश है। निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मंतव्य के आलोक में विकेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित	

	अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी को पेट में दर्द एवं वमन से ग्रस्त होने के कारण चिकित्सा कराने के लिए दिनांक 22.10.2011 से 27.10.2011 तक हाजीपुर में था (चिकित्सक की छयाप्रति पुर्जी संलग्न), जिस कारण अपीलार्थी की दुकान बंद पायी गयी थी। सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है। उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा Speaking order पारित नहीं किया गया है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	
	(हस्ताक्षर) जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 874 दिनांक 22/8/14

प्रतिलिपि – SDO सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – NIC पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/8/14

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण

(हस्ताक्षर) 22/8/14

S.A. 129/11